उत्तर प्रदेश शासन

उद्यान अनुभाग

संख्या-41/2016-1705/58-2016-132/2016

लखनऊ: दिनांक: 07 जून 2016

<u>शुद्धि पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत केन्द्रीय योजना "पर ड्राप मोर क्राप"-माइक्रोइरीगेशन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश **संख्या-38/2016-1426/58-2016-132/2016 दिनांक 30.05.2016 के प्रस्तर-1 में बनी तालिका के अन्तिम स्तम्भ के योग में लिपिकीय त्रुटिवश धनराशि 30319 के स्थान पर 30919 अंकित हो गया है। कृपया उक्त धनराशि 30919 के स्थान पर 30319 पढ़ा जाय।**

इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 30.05.2016 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-9 की तीसरी पंक्ति में (Cash or Kind) के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश **(Cash or King)** अंकित हो गया है। कृपया **(Cash or King)** के स्थान पर **(Cash or Kind)** पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश **संख्या-38/2016-1426/58-2016-132/2016 दिनांक 30.05.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष यथावत रहेगा।**

भवदीय,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
अनु सचिव।

<u>संख्या-41/2016-1705(1)/58-2016, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(2) निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) सचिव भारत सकरार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन नई दिल्ली।
(4) बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(5) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) निदेशक कृषि विभाग कृषि भवन लखनऊ।
(10) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान उत्तर प्रदेश।
(11) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
(12) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in